न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्युटेशन रिविजन वाद सं0–17/2020–21

मतीउर रहमान
बनाम
फातीमा बेवा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29.03.2022	**आदेश** यह रिविजन वाद विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय से इस न्यायालय में सुनवाई एवं निष्पादन हेतु हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। रिविजनकर्त्ता मतीउर रहमान, पिता–स्व0 मोजाफ्फर हुसैन, सा0–रहसपुर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–02/2016–17 में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह रिविजन वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में 1. झारखण्ड राज्य 2. फातीमा बेवा, पति–स्व0 जमीरूद्दीन शेख 3. फातेमा बीबी, पति–स्व0 तमीजुद्दीन शेख दोनों का सा0–रहसपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) 4. इस्मोतारा बीबी, पति–महारूद्दीन शेख, सा0–मनीरामपुर 5. जन्नतारा बीबी, पति– नजरूल शेख, सा0–ईलामी 6. सैदुल्ला शेख, पिता–स्व0 तमीजुद्दीन शेख, सा0–रहसपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) एवं चार अन्य नाबालिग व्यक्ति (अभिभावक विपक्षी क0–3) को पक्षकार बनाया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि रिविजनकर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–679/1977–78 में दिनांक 31.12.1977 को पारित आदेश के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसे दाखिल खारिज अपील वाद सं0–02/2016–17 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त वाद में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। यह रिविजन आवेदन इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद के विपक्षी गणों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद न तो वे उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कोई पैरवी की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस मामले में उनकी कोई अभिरूचि नहीं है। अतः वाद को Exparte सुना गया। रिविजनकर्त्ता का कहना है कि मौजा–रहसपुर नं0–154 के जमाबन्दी	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नं0–136 के दाग सं0–830 अन्तर्गत रकवा 0–6–1 धूर जमीन उनकी माता जैनब बीबी की खरीदगी सम्पत्ति है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज सम्पन्न है तथा होल्डिंग सं0–208 सृजित है। उक्त भूमि का कई वर्षो तक लगान रसीद भी निर्गत है।

उनका आगे कहना है कि वाद में लगान जमा करने के समय यह ज्ञात हुआ कि उक्त दाग सं0–830 से रकवा 0–3–5 धुर जमीन घटा दिया गया है। पता करने पर ज्ञात हुआ कि अंचल अधिकारी के दाखिल–खारिज वाद सं0–679/1977–78 में पारित आदेश के तहत ऐसा किया गया है। उक्त दाखिल खरिज वाद सं0–679/1977–78 में पारित आदेश का नकल प्राप्त किया गया। जिसमें दाग सं0–822 की जमीन रकवा 0–3–5 धुर का नामान्तरण किया गया है। परन्तु उक्त रकवा 0–3–5 धुर जमीन होल्डिंग सं0–208 से घटा दिया गया है जबकि दाग सं0–822 से संबंधित होल्डिंग 580 है।

उनका आगे कहना है कि नियमतः दाग सं0–822 का रकवा रकवा 0–3–5 धुर जमीन होल्डिंग सं0–580 से घटाया जाना था परन्तु होल्डिंग सं0–208 से घटा दिया गया है, जो बिल्कुल अवैध एवं गलत है।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि दाग सं0–822 से संबंधित होल्डिंग 580 है जबकि दाग सं0–830 से संबंधित होल्डिंग होल्डिंग 208 है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल–खारिज वाद सं0–679/1977–78 में पारित आदेश के नकल की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। विपक्षी के पूर्वज अब्दुल जब्बार द्वारा दाग सं0–822 अन्तर्गत रकवा रकवा 0–3–5 धुर जमीन का दाखिल–खारिज हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें होल्डिंग सं0–208 का उल्लेख किया गया है। उक्त होल्डिंग जैनब बीबी (रिविजनकर्त्ता की माता) के नाम से दर्ज है। राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि दाग सं0–822 रकवा रकवा 0–3–5 धुर जमीन होल्डिंग सं0–208 से घटा दिया गया है। जबकि होल्डिंग सं0–208 दाग सं0–822 से संबंधित नहीं है अपितु दाग सं0–830 से संबंधित है। नियमतः खरीदगी भूमि (दाग सं0–822) को उसी से संबंधित होल्डिंग 580 से घटाया जाना था। परन्तु होल्डिंग सं0–208 से घटा दिया गया।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा दाखिल –खारिज वाद सं0–679/1977–78 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1977 एवं दाखिल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	खारिज अपील वाद सं0–02/2016–17 में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दाखिल –खारिज वाद सं0–679/1977–78 में दिनांक 31.12.1977 तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–02/2016–17 में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा देंगे। लेखापित एवं संशोधित। उ0 प्रा0 यु0क्त, पाकुड़। 21/3/22 उ0 प्रा0 यु0क्त, पाकुड़। 21/3/22	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 17:16:33 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner